भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 31
02/02/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जोशीमठ में भूमि धंसने के लिए मुआवजा

31. श्री परिमल नथवानी:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड के जोशीमठ में गंभीर रूप से भूमि धंसने को देखते हुए सरकार देश भर के अन्य प्रमुख पर्वतीय स्थलों पर भूमि का विस्तृत अध्ययन करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार अन्य प्रमुख पर्वतीय स्थलों पर आवासीय/वाणिज्यिक निर्माण कार्य को और रोकने या नियंत्रित करने की योजना बना रही है, यदि हा, तो सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जाने की योजना है;

(ग) सरकार द्वारा जोशीमठ में अपना आवास खाली करने वाले लोगों को मुआवजा देने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या जोशीमठ में व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों के लिए किसी मुआवजे की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) और (घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी तत्संबंधी राज्य सरकार की होती है, जिसमें राहत का वितरण और आपदा के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास शामिल है।केंद्र सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक वित्तीय और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करती है।

देश के पहाड़ी शहरों के विभिन्न भागों में अस्थिर और डायनामिक जियोलॉजी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किए हैं। विकास योजनाएं बनाने के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा इन मानचित्रों को ध्यान में रखा जाना है।

हिल स्टेशनों में, आवासीय/वाणिज्यिक निर्माण पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। तथापि, स्थानीय प्रशासन संकट जोखिम के आधार पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले सकता है।

उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में हाल ही में भूमि-धंसाव के कारण, कई भवनों में मध्यम से बड़ी क्षति होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, 863 भवनों में दरारें देखी गई हैं और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 995 सदस्यों वाले 296 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

राज्य सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवार कोपुनर्वास के लिए अग्रिम के रूप में1,00,000 रुपये और विस्थापन भत्ते के रूप में 50,000 रुपयेभुगतान के आदेश जारी किए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ45 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। दिनांक 30.01.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 235 प्रभावित परिवारों को राहत सहायता के रूप में 3.50 करोड़ रूपये वितरित कर दिए गए हैं।राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की है, जिसके लिए प्रति कमरा 950 रुपये प्रतिदिन और भोजन के लिए 450 रुपये प्रति व्यक्ति दिये जा रहे हैं। इन अस्थायी आवास का लाभ नहीं लेने वाले प्रभावित परिवारों को छह माह तक 5000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है। राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को मुफ्त चिकित्सा जांच और मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गई हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय से राहत और पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं।

जोशीमठ क्षेत्र में भूमि -धंसाव के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है।

****